

FORM-1**(for linear projects)****Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag**

No--- 75

Dated---12/06/15


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.4000 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Saur Bhattgaon to Kyark Falasi Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Saur Bhattgaon, Kyark-Bawai, Falasi etc** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


(Dr. Raghay Langer)
जिला अधिकारी

(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date **12.6.15** at time **2:00 P.M** at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **1.4000** hect for the **Construction of Saur Bhattgaon to Kyark Falasi Motor Road** under **State Sector (7.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated:..12/06/15


(Dr. Raghav Langer)
**District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag**

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी०

दिनांक 06/06/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सौड़ भट्टगांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
[1]	श्री मदन सिंह नेगी	मदन सिंह
[2]	जीत सिंह शुक्ल	जीत सिंह
[3]	अमित नेगी	अमित
[4]	यशवन्त सिंह शुक्ल	यशवन्त सिंह
[5]	जीतपाल नेगी	जीतपाल नेगी
[6]	परीप सिंह	परीप सिंह
[7]	अरविन्द सिंह	अरविन्द सिंह
[8]	सजय लाल	सजय लाल
[9]	जगदीश लाल	जगदीश लाल
[10]	राजकुमार लाल	राजकुमार लाल
[11]	नाथु कर्ण भट्ट	Naathu Karna
[12]	जगदीश प्रसाद भट्ट	जगदीश प्रसाद
[13]	गिरिजा भट्ट	गिरिजा भट्ट
[14]	रामेश्वर प्रसाद भट्ट	रामेश्वर प्रसाद भट्ट
[15]	नन्द देवी	नन्द देवी
[16]	सजय भट्ट	Sajay
[17]	महिलाल सिंह	महिलाल सिंह
[18]	पदम सिंह शुक्ल	पदम शुक्ल

संलग्न है।



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी०

दिनांक 08.06.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत वावई - क्याक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
[1]	श्री बलवीर सिंह राजा	
[2]	" दिगम्बर सिंह राजा	
(3)	" रामचन्द्र सिंह राजा	
(4)	" शिवराज सिंह राजा	
(5)	" पुष्कर सिंह राजा	
(6)	" लक्ष्मण सिंह राजा	
(7)	" खेम सिंह भोडारी	
(8)	" भगत सिंह	
(9)	" अनुसूया सिंह	
(10)	" कल्याण सिंह	
(11)	" धर्मवीर सिंह	
(12)	" महावीर सिंह	
(13)	" हनुमन्त सिंह	
(14)	रजनी राजा	
(15)	सुषमा देवी	
(16)	जगदीशम्बेश्वरी	
(17)	भागीरथी	
(18)	सुमति देवी	
(19)	लीला देवी	
(20)	वसन्त सिंह शब्दादी	
(21)	इन्दु सिंह शब्दादी	
(22)	अश्विनी सिंह शब्दादी	

संलग्न है।



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्यार्क-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- ~~सौड़ भट्टगांव~~.....

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्यार्क-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी० के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.4000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् **कुल 1.4000 हे०** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तावतुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~सौड़ भट्टगांव~~ द्वारा-दिनांक 06/06/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~सौड़ भट्टगांव~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ह०/- ~~सौड़ भट्टगांव~~ विकास अधिकारी
ग्राम सचिव ~~सौड़ भट्टगांव~~ जिला रुद्रप्रयाग
वि०ख० अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)



नोट :-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्यार्क-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- नावडू-क्यार्क

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्यार्क-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी० के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.4000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4000 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तावतुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नावडू-क्यार्क द्वारा दिनांक 04.06.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नावडू-क्यार्क के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव नावडू-क्यार्क

वि०ख० अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



योजना का नाम- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्तमुनी में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड भट्टगांव से क्याक -फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लम्बाई 7,00 किमी०।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम,.....फलासी.....

तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्तमुनी में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड भट्टगांव से क्याक -फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लम्बाई 7,00 किमी० के निर्माण हेतु (0,00हे० आरक्षित वन भूमि, 0,00हे० सिविल सोयम भूमि, 1,4000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1,4000 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तावतुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत, फलासी द्वारा दिनांक 06/06/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फलासी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० [Signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव Chopla - falesi

ह० [Signature]
ग्राम प्रधान होनि देवी

जिला रुद्रप्रयाग

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

होनि देवी फलासी

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि।

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी० (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.4000 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4000 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 3-8-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| 1- श्री दत्त सिंह चौधरी | उपजिलाधिकारी | रुद्रप्रयाग | अध्यक्ष |
| 2- श्री अनूप शर्मा | उप प्रभागीय वनाधिकारी | रुद्रप्रयाग | सदस्य |
| 3- श्री अनूप शर्मा | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | रुद्रप्रयाग | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री अनूप शर्मा | बी०डी०सी० क्षेत्र | रुद्रप्रयाग | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी० हेतु 1.4000 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तावतुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी० के निर्माण हेतु 1.4000 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-जखौली, जनपद रुद्रप्रयाग।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप जिला समाज कल्याण अधिकारी
रुद्रप्रयाग